ओमप्रकाश — [illegible] आदि [illegible] 140/23

	आज्ञा पत्र	
[illegible] 2-25	[illegible] प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.3.25 को पेश हो।	
18.3.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वकील अपीलार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। निवेदन स्वीकार किया गया। वास्ते बहस दिनांक 21.3.25 को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
21.3.25	पत्रावली पेश। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26-3-25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
26.3.25	पत्रावली पेश। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 1-4-25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1-4-25	पत्रावली पेश। अपील अपीलाट रीमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 140 / 2023

1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री ख्यालीराम उम्र साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र श्री हजारीलाल
2 खेमचन्द पुत्र श्री हजारीलाल
3 बाबूलाल पुत्र श्री हजारीलाल
4 परमानन्द पुत्र श्री हजारीलाल
5 संपति देवी पत्नी श्री फूसराज
6 दीपक पुत्र श्री फूसराज
7 नाथूराम पत्र श्री किशन (नाऔलाद फौत)
8 नारायणा पुत्री श्री बोदूराम (नाऔलाद फौत)
9 पूरणमल पुत्र श्री बोदूराम (नाऔलाद फौत)
10 गणेश पुत्र श्री हणमान (नाऔलाद फौत)
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.।
11 सत्यनारायण पुत्र श्री श्योकुमार
12 मेघराम पुत्र श्योकुमार
13 रूकमणी पत्नी श्री बद्री प्रसाद
14 धर्मेन्द्र पुत्र श्री बद्री प्रसाद
15 अरूण पुत्र श्री बद्री प्रसाद
16 नरेश पुत्र श्री बद्री प्रसाद
17 बनवारी पुत्र श्री रामेश्वर
18 गंगाधर पुत्र श्री रामेश्वर
19 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर
20 मोतीराम पुत्र श्री गंगाधर (नाऔलाद फौत)
21 महादेव पुत्र श्री नन्दाराम (नाऔलाद फौत)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

22 राधेश्याम पुत्र श्री बालूराम
23 गोलड़ी देवी पत्नी श्री सांवरमल
24 आनन्द पुत्र श्री सांवरमल
25 सुशीला पत्नी श्री श्यामसुन्दर
26 अमित पुत्र श्री श्यामसुन्दर
27 आशीष पुत्र श्यामसुन्दर
28 राजकुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर
29 परमेश्वर पुत्र श्री श्यामसुन्दर
30 श्रवण पुत्र श्री बालूराम
31 घनश्याम पुत्र श्री बालूराम मृतक
31/1 सुरेश कुमार पुत्र घनश्याम
31/2 नरेश कुमार पुत्र घनश्याम
31/3 दिनेश पुत्र श्री घनश्याम
32 महादेव पुत्र श्री भंवरलाल
33 त्रिवेणी पत्नी श्री भंवरलाल
34 संजय पुत्र श्री भंवरलाल
35 रामकुमार पुत्र श्री लिखमाराम फौत
36 रामा देवी पत्नी द्वारका प्रसाद
37 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद
38 कैलाश पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद
39 बजरंगलाल पुत्र श्री ख्यालीराम
40 अरविन्द कुमार पुत्र श्री भंवरलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राज.।

41 तहसीलदार महोदय तहसील व जिला सकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी श्रीमती मुनेश आरएएस
सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बउनवानी वाद राजेन्द्र कमार
बनाम शंकरलाल आदि वाद संख्या 19/2017 दिनांक 25.08.2023
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भगवानसिह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 1/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद रिकार्ड दुरूस्त, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 122, 132, 480/1009 नये खसरा नम्बर 256, 270, 273 वाके ग्राम कोलिड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 व दीनदयाल शर्मा पुत्र बागाराम शर्मा पीडब्ल्यू–2 पेश किये तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1, नक्शा प्रमाणित प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2063–66 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्र प्रदर्श–4, कच्चा खतौनी संवत 2013 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत 2017–20 प्रदर्श–7 , जमाबंदी संवत 2023–25 प्रदर्श–8, लगान अदा रसीद प्रदर्श 9 ता 15 पेश किये। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है। विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन मनन व विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 व दीनदयाल शर्मा पुत्र बागाराम शर्मा पीडब्ल्यू–2 पेश किये तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श 1, नक्शा प्रमाणित प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2063–66 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्र प्रदर्श–4, कच्चा खतौनी संवत 2013 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत 2017–20 प्रदर्श–7 , जमाबंदी संवत 2023–25 प्रदर्श–8, लगान अदा रसीद प्रदर्श 9 ता 15 पेश किये। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक ....1/4/25.... को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर